फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री हेगराज   बनाम   विपक्षी : श्री कन्ना व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम   पत्रावली संख्या : 47/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 19.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 8 के सम्मन पर तामिल नहीं लेने की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिससे विपक्षी संख्या 1 से 8 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 8 अनुपस्थित। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 9 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 9 राजपेशकार द्वारा जवाब नही देना चाहा। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार होकर अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है। प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि में हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण एवं उनका परिवार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 3 से 5 खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबधित विवाद नहीं रहेंगा जिससे प्रकरण मे पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धारता पटवार हल्का धारता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबदी 2078–81 की खाता संख्या नया 91 की आराजी न. 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863 किता 18 रकबा 1.9600 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबधित नही है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करे कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि [illegible]

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested